

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर राजगढ जिला-अलवर

दावा

(चैकलिरस्ट)

आज दिनांक 16/4/25 को दावा अन्तर्गत धारा 188 प्रस्तुत कर्ता श्री मनोज मीना द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद जॉच रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

क्र. स.	विवरण	हां/ नहीं	विशेष विवरण
1.	क्या दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है ?	ह	
2.	क्या दावा पर्याप्त मुद्रांक पर है ?	ह	
3.	क्या उचित संख्या में तलवाना सम्मन मय वाद पत्र प्रति मय कोर्ट फीस के पेश किये है ?	ह	
4.	क्या दावे के प्रत्येक पेज पर वादी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है ?	ह	
5.	क्या वाद के तथ्य वाद-हेतुक को प्रकट करते है ?	ह	
6.	क्या वाद से संबंधित सभी हित धारक को पक्षकार बनाया गया है?	ह	
7.	क्या वाद में पक्षकारों का सम्पूर्ण नाम, वल्लिदयत, पूर्ण पता पिनकोड सही रूप में अंकित किया गया है ?	ह	
8.	क्या वाद पत्र में निरर्थक बाते लिखी है या अन्यथा प्रपची है ?	नही	
9.	क्या सी.पी.सी.-1908 के आदेश 7 का पालन किया गया है ?	ह	
10.	क्या दावे के साथ हाल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है ?	ह	
11.	क्या इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न है कि प्रार्थी जिस जमाबन्दी के आधार पर यह दावा प्रस्तुत कर रहा है बाद में भूमि अथवा इसके भाग का बेचान अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है?	नही	
12.	क्या राजस्व भूमि शहर क्षेत्र की है यदि हां तो क्या सम्बन्धित शहरी निकाय को पक्षकार बनाया है?	नही	
13.	क्या वाद पंजीकृत विलेख को निरस्त कराने बाबत है ?	नही	
14.	क्या वाद में अंकित खसरा संख्यांन से संबंधित कैवियट प्रार्थना पत्र न्यायालय में दर्ज है ?	नही	
15.	क्या प्रकरण राजस्व न्यायालय में दर्ज किया जाना उचित है ?	ह	

राजस्व अहलमद (आर.ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

दिनांक:- 16/4/25

आज यह दावा वकील वादी द्वारा पेश अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर दिनांक 28/5/25 को पेश हो। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ

जिला अलवर

30/06/25 पंजावली आज इकजाद चैत्री 03/09/25 से कार्यवाही पंजावली तलब होकर पेश हुई। वकील वादी उपर। वकील वादी ने क्षति नोटिस में खरीज करने का निवेदन किया। दावा वकील वादी के निवेदन पर नोटिस में खरीज किया जाता है। पंजावली नम्बर से कम होकर जमा लेना होगा है।

मस्त फाइल
राजगढ

SDU

7	मोबाईल नम्बर
8	अधिवक्ता का नाम तथा बार रजिस्ट्रेशन